Mr. Speaker: No advice can be given. Next question.

Shri D. C. Sharma: My name was also there, but I was not called.

Mr. Speaker: We have passed on to the next question:

पदोन्नति में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए रक्षण

*६५४. **श्री बाल्मीकी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् पदोन्नति के मामलों में रक्षण (रिजर्वेशन) की व्यवस्था खत्म करने के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदम जाति के अनेक प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को नीचे पदों पर भेज दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने अधिकारियों को नीचे पदों पर भेजा गया ;

(ग) क्या यह भी सच है कि रेलवे तथा अन्य विभाग भी इस रियायत को वापस लेने जा रहे हैं ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय ने कोई आदेश दिए हैं, और

(ङ) यदि हां, तो आदेश क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख). इस सम्बन्ध में गृह-मंत्रालय के आदेश जारी होने की तिथि से लागू होते हैं, और पहले आदेशों के अनुसार की गई पदोन्नति और चयनों को बदला नहीं जावेगा। अतः इन आदेशों के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति के किसी अधिकारी को प्रथम या द्वितीय श्रेणी से नीचे लाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेशों के समान आदेश जारी किये हैं। भारत सरकार के अन्य विभाग गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेशों का पालन करते हैं।

(घ) और (ङ). भारत सरकार के संकल्प तथा कार्यालय ज्ञापन दिनांक ८-११-१९६३ की एक एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रख दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-२६६१/६४]

[(a) and (b). The orders issued by the Home Miinstry in this regard take effect from the date of issue and promotions and selections already made in accordance with the old orders are not to be disturbed. There is, therefore, no question of any officer belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe being reverted from a Class I or Class II post as a result of these orders.

(c) The Ministry of Railways have issued orders similar to those issued by the Ministry of Home Affairs. The other Departments of the Government of India follow the orders issued by the Ministry of Home Affairs.

(d) and (e). A copy each of the Government of India Resolution and Office Memorandum dated 8th November, 1963 is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-2660/64].

श्री बाल्मीकी : क्या यह बात माननीय मंत्री की जानकारी में है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के जिन अधिकारियों की तरक्कियां हुई थीं, उन के सम्बन्ध में दिक्कत बढ़ी हैं तो क्या उन दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री ल० ना० मिश्र : कोई दिक्कत नहीं बढ़ी है। जिनकी पदोन्नति हुई है वह अब भी अपनी ऊंची जगहों पर ही बने हुए हैं। यह पहले ही कह दिया गया है कि क्लास ३ और ४ में रिजरवेशन है लेकिन क्लास १ और २ में प्रमोशन की जगहों पर कोई रिजरवेशन नहीं है। इ सलिए उसमें कोई

नई दिक्कत पैदा होने की बात नहीं उठती है ।

श्री बाल्मीकी : क्या उनको सुरक्षा देने के लिए और विशेषकर इन तरक्कियों को इसी तरह जारी रखा जायेगा कि रेलवे तथा अन्य विभागों में जो उन्हें तरक्कियां मिल रही थीं, उनको बराबर मिलती रहेंगी। इसके सुरक्षा देने के लिए क्या होम मिनिस्टरी ने यह आदेश दिया है कि वह तरक्कियां इस आधार पर न करके उस आधार पर की जायें जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ।

श्री ल० ना० मिश्र : जी हां, हमने कहा है कि भविष्य में इस तरीके से तरक्कियां नहीं दी जायेंगी लेकिन जिनको मिल चुकी हैं वे तो बनी रहेंगी ही ।

श्री घुलेश्वर मीना : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस प्रकार का आर्डर जारी होने के बाद जो शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पदोन्नति नहीं हो सकती है और क्या सरकार के ध्यान में इस प्रकार की बात है कि इस प्रकार का प्रमोशन न होने से चूंकि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग आगे नहीं बढ़ पायेंगे तो क्या इस प्रकार का कोई केडर स्थापित किया जायेगा या कोई ऐसी ट्रेनिंग दी जायेगी जिसके कि द्वारा वह आगे की फर्स्ट और सैकंड क्लास की श्रेणियों में प्रमोशन पा सकें ।

श्री ल० ना० मिश्र : मैंने बतलाया कि इन लोगों का रिजरवेशन क्लास १ से लेकर क्लास ४ सब में है लेकिन प्रमोशन के मामले में क्लास १ और २ में रिजर्वेशन नहीं है लेकिन क्लास ३ और ४ में यह रखा जायेगा ।

Shri Basumatari: Since the judgement of the Supreme Court was announced, may I know whether it is a fact that a tendency has been created in the country that the question of promotion should not be there in regard to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and, if so, what steps are the Government taking to remove this tendency in the country?

Shri L. N. Mishra: That is not a fact. A clear order has been issued that reservation in promotion in the case of Class III and IV employees will be there. But in the other classes, of course, there should not be reservation.

12:00 hrs.

Shri Sonavane: May I know what are the reasons for not keeping any reservation for scheduled castes and scheduled tribes in Class I and Class II Posts in making promotion?

Shri L. N. Mishra: In the interests of efficiency and better administration, in Class I and Class II posts there should not be reservation so far as promotion is concerned.

श्री गुलशन : क्या मैं जान सकता हूं कि गजेटेड पोस्ट्स में, जो कि पहले रिजर्व की जाती थी, प्रोमोट होने वाले शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के उम्मीदवारों को वह रियायत नहीं दी जाती है, क्या इस बारे में सरकार के पास उन लोगों की शिकायतें आई हैं, यदि हां, तो वे कितनी हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : शिकायतें तो बहुत आती हैं, लेकिन उन की संख्या देना बड़ा मुशकिल है । इस तरह की शिकायत नहीं आई है कि किसी नियम का उल्लंघन हुआ है ।

श्री गलशन : शिकातें तो सरकार के पास पहुंची हैं, लेकिन उन को हल करने के लिये सरकार ने क्या किया है ?

Mr. Speaker: Question Hour is over. Short Notice question.

Shri Hari Vishnu Kamath: Under proviso to rule 46, Question No. 957 which is of special public interest may kindly be permitted to be answered.

Mr. Speaker: The Minister can ask for it and not the Member.